



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062023-246795
CG-DL-E-24062023-246795

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]
No. 155]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2023/आषाढ़ 2, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2023/ASHADHA 2, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2023

सं. 19/2023

विषय: प्रक्रिया पुस्तिका 2023 के परिशिष्ट 3 (स्कोमेट सूची) की श्रेणी 5बी में संशोधन।

फा. सं. 01/77/180/09/एएम22/ईसी(एस).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.01 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तिका 2023 के अध्याय 10 में अधिसूचना संख्या 14 दिनांक 23.06.2023 के संदर्भ में एक नया पैरा 10.16(क) जोड़कर निम्नानुसार संशोधन करते हैं।

पैरा 10.16 (क)—ड्रोन के निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र (जीएईडी) को प्रदान करने की प्रक्रिया

क.नीति और पात्रता: 5ख(क)(ii) में निर्दिष्ट ड्रोन, दूर से संचालित हवाई वाहन और स्वचालित प्रोग्राम करने में सक्षम वाहन सहित मानवरहित हवाई वाहनों के निर्यात और/या पुनः निर्यात के लिए स्कोमेट प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी और स्कोमेट श्रेणियां/उप-श्रेणियां 5ख(क)(i) और 5ख(ख), 6क010, 8क912 के अंतर्गत शामिल न की गईं और 25 किमी के बराबर या उससे कम रेंज के लिए सक्षम और 25 किलोग्राम से अनधिककता पेलोड डिलीवर करने वाली कार्य प्रणालियां। (इन मदों की सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी को छोड़कर), जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:

- आवेदक निर्यातक ऑनलाइन स्कोमेट पोर्टल के माध्यम से जीएईडी के तहत एकबारगी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा और प्रपत्र-एएनएफ 10छ में जानकारी संलग्न करेगा;

II. प्रस्तुत किए गए आवेदन और निर्धारित प्रपत्र में आवेदक निर्यातक द्वारा प्रस्तुत अन्य सहायक दस्तावेजों सहित के आधार पर अंतर-मंत्रालयी कार्य समूह (आईएमडब्लूजी) द्वारा जीईडी जारी करने के लिए आवेदन की समीक्षा/जांच की जाएगी; इनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- क. मर्दों का विस्तृत विवरण जिनका प्रासंगिक तकनीकी विवरणों/ विशिष्टताओं के साथ इस प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात किया जाना अभिप्रेत है जिसमें पेलोड जैसे मॉडल, भाग संख्या, ड्रोन के अन्य पैरामीटर जैसे पेलोड क्षमता, ऊंचाई, रेंज, स्थायित्व, गति, संचार प्रकार(एन्क्रिप्टेड या अनएन्क्रिप्टेड, जीपीआरएस या उपग्रह आधारित), सटीकता आदि शामिल हैं (जैसा लागू हो) दिए जाने हैं;
- ख. देशों की सूची जहां जीईडी के तहत निर्यात किया जाना अपेक्षित है, आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के समय दी जानी है।
- ग. आपूर्ति की श्रृंखला उदा.विदेशी खरीदार/परेषिती/अंतिम उपयोगकर्ता/मध्यस्थ (ओं)में शामिल सभी कंपनियों द्वारा विधिवत स्याही से हस्ताक्षरित और कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुहर लगाए गए संबंधित कंपनी के शीर्ष पत्र पर निर्धारित प्रपत्र [परिशिष्ट 10ज (झ)] में ईयूसी प्रस्तुत किए जाने हैं। ईयूसी के साथ उपयोग की जाने वाली किसी भी अतिरिक्त पत्रक के मामले में, उसे कंपनी के शीर्षपत्र पर होना चाहिए और उसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जो ईयूसी पर हस्ताक्षर करता है।
- घ. निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगाए गए फर्म के शीर्षपत्र पर वचनपत्र:
 - i. डीजीएफटी या भारत सरकार के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा यदि आवश्यक हो तो आवेदक निर्यातक द्वारा किसी भी ऑन-साइट निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी;
 - ii. आवेदक निर्यातक घोषणा करता है कि जिन मर्दों का निर्यात किया जाना अभिप्रेत है, उनका उपयोग ईयूसी में उल्लेख किए गए उद्देश्य (ओं) के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा और भारत सरकार की पूर्व सहमति के बिना इस तरह के उपयोग को बदला नहीं जाएगा और न ही मर्दों को संशोधित किया जाएगा या दोहराया जाएगा।
 - iii. आवेदक निर्यातक घोषणा करता है कि निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करने के बाद, यदि लाइसेंसधारी को डीजीएफटी द्वारा लिखित रूप में अधिसूचित किया गया है या यदि वे जानते हैं या उनके पास विश्वास करने का कारण है कि यह मद सैन्य अंतिम उपयोग के लिए है या इसमें उपयोग का संभावित जोखिम है या बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों (डब्लूएमडी) में परिवर्तन या उनकी मिसाइल प्रणाली के वितरण के लिए अभिप्रेत हो सकती है, तो निर्यातक उस/उन मर्दों के निर्यात के लिए जीईडी के लिए पात्र नहीं होगा और नियमित नीति के संदर्भ में एक नए प्राधिकार पत्र के लिए डीजीएफटी को अलग से आवेदन करेगा।
 - iv. किसी भी गलत घोषणा के लिए निर्यातक के खिलाफ विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- ङ. प्रमाणित/स्वीकृत आंतरिक अनुपालन कार्यक्रम (आईसीपी) या विदेशी मूल कंपनी के आईसीपी के अनुपालन का प्रदर्शन या कंपनी के अनुपालन प्रबंधक द्वारा प्रमाणित आईसीपी या किसी सरकारी एजेंसी जैसे प्राधिकृत आर्थिक ऑपरिटर (ईओ) स्कीम आदि द्वारा प्रमाणित।
- च. जीईडी प्राधिकार पत्र जारी करने के बाद और वास्तविक निर्यात से पहले, आवेदक निर्यातक को निम्नलिखित को सुनिश्चित करना चाहिए:
 - i. वह संबंधित सरकारी प्राधिकारियों को डीजीएफटी के ऑनलाइन पोर्टल में निर्धारित प्रारूप [परिशिष्ट 10ज (झ)] में अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र (ईयूसी) और गंतव्य देश में प्रविष्टि बिल की एक प्रति के साथ निर्धारित प्रपत्र[आयात निर्यात प्रपत्र (एएनएफ)10-छ] में ऐसे निर्यात को तिमाही आधार पर अधिसूचित करेंगे।
 - ii. उनके पास एक अनुबंध या खरीद आदेश है, मद प्राप्त करने वाली कंपनी (परेषिती/अंतिम उपयोगकर्ता) से अनुबंध का उद्धरण है जो बताता है कि निर्यात वास्तविक निर्यात से पहले ईयूसी में घोषित उपयोग के लिए अनुमत उपयोग/अंतिम उपयोग के लिए है।
 - iii. निर्यातक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वास्तविक निर्यात से पहले ईयूसी पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी का नाम, संपर्क नंबर और ईमेल आईडी शामिल होना चाहिए।
 - iv. अतिरिक्त विवरण, यदि कोई डीजीएफटी द्वारा मांगा गया है।

ख. जीईडी के तहत मर्दों के निर्यात/पुनः निर्यात के लिए पश्च रिपोर्टिंग

- क. भारतीय निर्यातक जीईडी के तहत उपरोक्त श्रेणियों/उप-श्रेणियों के तहत स्कोमेट मर्दों के प्रत्येक निर्यात/पुनः निर्यात का पश्च-पोतलदान विवरण 3 वर्षों के लिए, जैसा कि II.ग.(i)में ऊपर उल्लेख किया गया है और उसमें निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करेगा;

ख. ऐसा करने में विफल रहने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और/या जीईडी का निलंबन/निरसन किया जा सकता है।

ग. रिकॉर्ड का रख-रखाव

निर्यातक को डीजीएफटी द्वारा जारी जीईडी की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 10.18 के संदर्भ में, मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में सभी निर्यात दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक होगा।

घ. सामान्य शर्तें और बहिष्करण

- क. जीईडी उन मदों के मामले में जारी नहीं किया जाएगा जिनका उपयोग डिजाइन, विकास, अधिग्रहण, विनिर्माण, कब्जा करना, परिवहन, हस्तांतरण और/या सैन्य अनुप्रयोगों, विस्फोटकों, रासायनिक, जैविक, परमाणु हथियारों या सामूहिक विनाश के हथियारों को वितरित करने में सक्षम मिसाइलों और उनकी वितरण प्रणालीके लिए किया जाता है;
- ख. जीईडी यूएनएससी व्यापार प्रतिषेध या प्रतिबंधित सूची के तहत शामिल देशों अथवा इकाइयों या प्रसार चिंता के मूल्यांकन पर या राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के विचार आदि के लिए जारी नहीं किया जाएगा;
- ग. नए देशों को शामिल करने या देशों की मौजूदा सूची में संशोधन के मामले में जहां जीईडी के तहत निर्यात किया जाना अपेक्षित है, आवेदक निर्यातक प्रासंगिक विवरण के साथ डीजीएफटी की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा;
- घ. आईएमडब्ल्यूजी बिना कोई कारण(कारणों) बताए जीईडी जारी करने से मना करने का अधिकार सुरक्षित रखता है;

ड. वैधता

- क. उपरोक्त श्रेणियों/उप श्रेणियों के अंतर्गत स्कोमेट मदों के निर्यात/पुनः निर्यात के लिए जारी जीईडी, जीईडी के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, बशर्ते कि तिमाही आधार पर बाद की पश्च रिपोर्टिंग(रिपोर्टिंग्स)अंतिम तिमाही से 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट की जाए।
- ख. प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैराग्राफ 10.20 के संदर्भ में जीईडी को पुनः सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

च. निलंबन/निरसन

जारी किया गया जीईडी प्रसार चिंता पर एक प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर या निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य पश्च-पोतलदान विवरण/रिपोर्ट/दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने या प्रस्तावित नीतिगत शर्तों का अनुपालन न करने पर डीजीएफटी द्वारा निलंबित/निरस्त किए जाने का पात्र होगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: जीईडी के तहत आवेदन करने के लिए नए आयात निर्यात प्रपत्र (एएनएफ) 10छ के साथ श्रेणी 5ख के तहत ड्रोन/यूएवी के निर्यात के लिए ड्रोन के निर्यात हेतु सामान्य प्राधिकार-पत्र (जीईडी) प्रदान करने की प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 23rd June, 2023

No. 19/2023

Subject : Amendments in Category 5B of the Appendix 3 (SCOMET LIST) to Handbook of Procedures 2023.

F. No. 01/77/180/09/AM22/EC(S).—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade, hereby makes amendments in Chapter 10 of Hand Book of Procedures 2023 by adding a new Para 10.16(A), with reference to Notification No. 14 dated 23.06.2023, as under :

Para 10.16(A) - Procedure for grant of General Authorization for Export of Drones (GAED)

A. Policy & Eligibility: SCOMET authorization will not be required, for export and/or re-export of Unmanned Aerial Vehicles including drones, remotely piloted air vehicles and autonomous programmable vehicles specified at

5B(a)(ii), and not covered under SCOMET Categories/sub-categories 5B(a)(i) & 5B(b), 6A010, 8A912, and capable of range equal to or less than 25 km and delivering a payload of not more than 25 kgs (excluding the software and technology of these items), subject to the following conditions:

- I. The applicant exporter shall submit an application for getting a onetime license under GAED through online SCOMET portal and attach information in proforma-ANF 10G;
- II. The application would be reviewed/examined for the issuance of GAED by Inter-Ministerial Working Group (IMWG) based on the submitted application and other supporting documents submitted by the applicant exporter in the prescribed Performa including;
 - a. Detailed description of the items that are intended to be exported under this authorization with relevant technical details / specifications; including payloads such as model, part number, other parameters of the drones such as Payload capacity, Altitude, Range, Endurance, Speed, Communication type (Encrypted or Unencrypted, GPRS or satellite based), Accuracy, etc. to be provided (as applicable);
 - b. The list of countries where the export is expected to be done under GAED is to be provided by the applicant at the time of submission of application.
 - c. The EUCs in prescribed Performa [Appendix 10 J (i)] are to be filled by all the entities involved in the chain of supply e.g. foreign buyer / consignee / end user / intermediary (ies) on the letterhead of the respective entity, duly signed in ink and stamped by the authorised signatory of the company. In case of any additional sheet used along with the EUC, the same must be on the letterhead of the company and signed by the same person who signs the EUC.
 - d. Undertaking on the letterhead of the firm duly signed and stamped by the authorized signatory stating the following:
 - i. Any on-site inspection will be allowed by the applicant exporter, if required by the DGFT or authorized representatives of Government of India;
 - ii. The applicant exporter declares that the items that are intended to be exported shall not be used for any purpose other than the purpose(s) stated in the EUC and that such use shall not be changed nor the items modified or replicated without the prior consent of the Government of India.;
 - iii. The applicant exporter declares that subsequent to issue of export authorisation, if the licensee has been notified in writing by DGFT or if they know or has reason to believe that an item may be intended for military end use or has a potential risk of use in or diversion to weapons of mass destruction (WMD) or in delivery of their missile system, the exporter would not be eligible for GAED for export of that/those item(s) and would apply separately to DGFT for a fresh authorization in terms of regular policy.
 - iv. Action will be taken against the exporter under FT (D & R) Act, 1992 for any mis-declaration.
 - e. Certified / Approved Internal Compliance Programme (ICP) or demonstrating compliance to the ICP of the foreign parent company or ICP certified by the Compliance Manager of the company or certified by any Government agency such as Authorized Economic Operator (AEO) scheme etc.
 - f. After issuance of GAED authorization and before actual export, the applicant exporter must ensure the following:
 - i. They shall notify the relevant government authorities in the online portal of DGFT, on quarterly basis of such export in the prescribed format [Aayat Niryat Form (ANF) – 10G], along with the End-Use Certificate (EUC) in the prescribed proforma [Appendix 10 J (i)] and a copy of the bill of entry into the destination country.
 - ii. They have an agreement or a purchase order, excerpt of contract from entity (consignee / end user) receiving the items which states that the export is for a permitted use / an end use as declared in the EUC before actual export;
 - iii. The submitting documents by exporter must include the name, contact number and email id of the authority signing the EUC before actual export.
 - iv. Additional details, if any sought by DGFT

B. Post reporting for export / re-export of items under GAED

- a. The Indian exporter shall submit post-shipment details of each export/ re-export of SCOMET items under the above Categories/ sub-categories under GAED for 3 years, as mentioned above at II.c. (i) and within the timelines specified therein;

- b. Failure to do so may entail imposition of penalty and / or suspension/revocation of GAED.

C. Record Keeping

The exporter will be required to keep records of all the export documents, in manual or electronic form, in terms of Para 10.18 of HBP, for a period of 5 years from the date of GAED issued by DGFT.

D. General Conditions & Exclusions

- a. GAED would not be issued in case of items to be used to design, develop, acquire, manufacture, possess, transport, transfer and / or used for military applications, explosives, chemical, biological, nuclear weapons or for missiles capable of delivering weapons of mass destruction and their delivery system;
- b. GAED would not be issued for countries or entities covered under UNSC embargo or sanctions list or on assessment of proliferation concerns, or national security and foreign policy considerations, etc.;
- c. In case of inclusion of new countries or amendment to the existing list of countries where the export is expected to be done under GAED, the applicant exporter will obtain prior permission of DGFT with relevant details;
- d. IMWG shall reserve the right to deny issue of GAED without assigning any reason(s).

E. Validity

- a. GAED issued for export / re-export of SCOMET items under the above Categories / Sub Categories shall be valid for a period of **Three years** from the date of issue of GAED subject to subsequent post reporting(s) on quarterly basis to be reported within 30 days from the last quarter;
- b. GAED cannot be revalidated in terms of Paragraph 10.20 of HBP 2023.

F. Suspension / Revocation

GAED issued shall be liable to be suspended / revoked by the DGFT on receipt of an adverse report on proliferation concern or for non-submission of mandatory post-shipment details / reports / documents within the prescribed timelines or for non-compliance with the conditions of the proposed policy.

Effect of this Public Notice : The procedure for grant of General Authorization for Export of Drones (GAED) for export of drones/UAVs under the Category 5B, along with the new Aayat Niryat Form (ANF) 10G for applying under GAED is notified.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.